न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 22/2021

श्री धर्मराज सैनी पुत्र नन्दलाल माली निवासी धुवॉ कला तहसीलद दूनी जिला टोंक राज.

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी देवली, टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 22–7–2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी देवली को आवेदन पत्र दिनांक 12–03–2021 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

ग्राम पंचायत धुवॉ कलॉ में प्रधानमत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ कितने राजकीय सेवा में कार्यरत/ रिटायरमेंट पेंशन भोगी व्यक्तियों न उठाया, उसकी सूची की प्रमाणीत प्रतिलिपी।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा पत्र कमांक 2075 दिनांक 12–7–2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना तहसील कार्यालय दूनी से संबंधित होने कारण कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2021/485 दिनांक 25.03.2021 द्वारा अपीलार्थी का मूल आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर तहसीलदार दूनी को अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु भिजवा दिया गया था। जिसके कम में तहसील कार्यालय दूनी के पंत्राक आरटीआई/2021/346 दिनांक 8.04.2021 द्वारा अपीलार्थी को सूचना भिजवा दी गयी है जिसकी छाया प्रति संलग्न है। आवेदक को दिये गये पत्र प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना नियमानुसार समयावधि में उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली तथा अपीलार्थी [illegible] की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal

Date: 2023.02.04 16:36:36 IST

Reason: SelfAttested

(चि[illegible]गोपाल)

प्रथम अपील अधिकारी

एंव जि[illegible] कलेक्टर टोंक